



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 06.11.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ क्रूरतापूर्वक वाहनों में क्षमता से अधिक बेजुबान पशुओं को लादकर वध के लिए सतना से उन्नाव ले जाते हुए 02 अभियुक्तों को थाना बदौसा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।
- ❖ एक ट्रक व पिकअप वाहन में 19 भैंस व 19 पड़वा को वध के लिए सतना से उन्नाव ले जा रहे थे अभियुक्त। चेकिंग के दौरान फतेहगंज तिराहा के पास से किया गया गिरफ्तार।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी अतर्रा श्री प्रवीण कुमार यादव के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 05/06.11.2024 की रात्रि को गश्त एवं चेकिंग के दौरान थाना बदौसा पुलिस द्वारा फतेहगंज तिराहा से 02 अभियुक्तों को एक ट्रक व एक पिकअप वाहन में क्षमता से अधिक पशुओं को लादकर क्रूरतापूर्वक तरीके से वध के लिए ले जाते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि पशु क्रूरता के सम्बन्ध में शामिल अन्य 02 अभियुक्तों की तलाश की जा रही है।

बरामदगी-

- 19 भैंस व 19 पड़वा
- 01 ट्रक व 01 पिकअप वाहन

गिरफ्तार अभियुक्त-

- विजय सिंह पुत्र जगतपाल सिंह निवासी मुख्तीयारगंज जनपद सतना (म0प्र0)
- दीपक कुशवाहा पुत्र रामआसरे कुशवाहा निवासी बीरनई रामपुर बघेलान जनपद सतना (म0प्र0)

वांछित अभियुक्त-

- मुसरफ अली पुत्र मोहम्मद जुबैर निवासी अलीगंज कोखराज जनपद कौशाम्बी
- साजिद पुत्र जाबिर निवासी नजीराबाद जनपद सतना (म0प्र0)

पंजीकृत अभियोग-

- म0अ0सं0 151/24 धारा 11(1)(डी) पशु क्रूरता निवारण अधि0 1960 थाना बदौसा

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थाना प्रभारी बदौसा श्री जयचन्द्र सिंह
2. उ0नि0 श्री फूलचन्द्र सरोज
3. कां0 अभय कुमार
4. कां0 नरेन्द्र सिंह
5. कां0 नितिन कुमार